राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प2(1401)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट–5/04220/2021 जयपुर, दिनांकः 02-11-2021

कार्यालय आदेश

विभाग के ध्यान में लाया गया हैं कि विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेशों के उपरांत संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों के द्वारा नव पदस्थापन कार्यालय में स्वयं के द्वारा अथवा वर्तमान पदस्थापन विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाने के फलस्वरूप कार्यग्रहण नहीं किया गया हैं। ऐसे सभी राजसेवक इस आदेश के जारी होने के 10 दिवस के भीतर वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से स्वयं को नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण किये जाने हेतु इस विभाग से कार्यमुक्त मानते हुए नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को oic.estt@rajasthan.gov.in पर मेल करे।

निर्धारित समयावधि में नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने वाले राजसेवकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

आज्ञा से,

1/11/2021

(संदेश नायक)
आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ओएसडी(डी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय (प्रभारी मंत्री महोदय, सू. प्रौ. और संचार विभाग) राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3 संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मियों को नवपदस्थापन कार्यलय में कार्य ग्रहण किये जाने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
4 कार्यालयाध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी संस्थापन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5 प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6 संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
7 निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव